

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक /
सं० सं०-०५/उ० नि० (अंको०) ०७/१८-१९

पटना, दिनांक

प्रेषक,

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार।

विषय : निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 110/2012-13 के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 191, दिनांक 16.08.2019 के आलोक में कहना है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन प्रतिवेदन में अभिप्रमाणित साक्ष्य नहीं है।

अतः महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाये गये आपत्ति के आलोक में कंडिकावार अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय मंतव्य का कॉलम बनाते हुए अभिप्रमाणित साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि उसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री सुधांशु शेखर, सहायक निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, नोडल पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार को सूचनार्थ। अनुरोध है कि जिला उद्योग केन्द्र के भ्रमण के क्रम में संबंधित निरीक्षण/अंकेक्षण के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3456

पटना, दिनांक 6.9.19

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/9/19
संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
5.9.19